

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 2-04-2026

### विषय सूची

नवीन आयकर अधिनियम, 2025

FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर विवाद

भारत तीव्र गति से वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है: विश्व आर्थिक मंच (WEF)

संसद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता विधेयक, 2026 पारित किया

मध्य पूर्व में युद्ध से वैश्विक सामरिक अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता उजागर

### संक्षिप्त समाचार

क्यूडेंगा (TAK-003)

GLP-1 थेरेपी

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के 10 वर्ष पूर्ण

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा नियम सख्त, गैर-डिलीवरेबल पुनः अनुबंधों पर प्रतिबंध

अमोनियम नाइट्रेट

ई-3 सेंट्री एवैक्स (AWACS)

राइस की व्हेल

अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार

## नवीन आयकर अधिनियम, 2025

### संदर्भ

- नवीन आयकर अधिनियम, 2025 को 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी किया गया है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता तथा अनुपालन की सरलता को बढ़ाना है।

### अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- **‘कर वर्ष(Tax Year)’ की अवधारणा का परिचय:** अधिनियम ने ‘आकलन वर्ष’ और ‘पूर्ववर्ती वर्ष’ की संकल्पनाओं को समाप्त कर एकीकृत अवधारणा ‘कर वर्ष’ प्रस्तुत की है। इसे वित्तीय वर्ष के 12 माह की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है।
- **योजनाएँ बनाने का अधिकार:** अधिनियम केंद्र सरकार को बिना आमने-सामने मूल्यांकन (Faceless Assessments) तथा कुशल कर प्रशासन हेतु योजनाएँ बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- **सरलीकृत अनुपालन:** स्रोत पर कर कटौती (TDS) से संबंधित प्रावधान, जो पूर्व में विभिन्न धाराओं में विभाजित थे, अब एकीकृत कर धारा 393 में समाहित किए गए हैं।
- **डिजिटल-प्रथम ढाँचा:** अधिनियम ने “आभासी डिजिटल क्षेत्र” (Virtual Digital Space) को परिभाषित किया है, जिसमें ईमेल, क्लाउड सर्वर, ऑनलाइन निवेश एवं ट्रेडिंग खाते तथा कर प्रवर्तन हेतु वेबसाइटें सम्मिलित हैं।
  - **आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) का विस्तार:** VDAs की परिभाषा में क्रिप्टोकरेंसी एवं टोकनयुक्त परिसंपत्तियाँ सम्मिलित की गई हैं।
- **सामान्य कर-परिहार विरोधी नियम (GAAR):** अधिनियम में GAAR को सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को अस्वीकार करना है जिनमें व्यावसायिक सार नहीं है और जो केवल कर बचाव हेतु बनाई गई हैं।

- **संरचनात्मक परिवर्तन:** अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है।
- **प्रपत्रों एवं अनुसूचियों का सरलीकरण:** प्रपत्रों की संख्या 390 से घटाकर 190 कर दी गई है। अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है।

### सामान्य कर-परिहार विरोधी नियम (GAAR)

- GAAR का उद्देश्य कृत्रिम कानूनी खामियों का उपयोग कर केवल कर देयता कम करने वाली व्यवस्थाओं को रोकना है।
  - भारत में GAAR का कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2017 से हुआ।
- **लक्ष्य:** “अस्वीकार्य परिहार व्यवस्थाएँ” (Impermissible Avoidance Arrangements - IAAs) जिनका मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है।
- GAAR के अंतर्गत कर प्राधिकरण कर देयताओं का पुनः गणना कर सकते हैं, कर लाभ अस्वीकार कर सकते हैं तथा कटौतियों या कर छूटों को निरस्त कर सकते हैं।

### व्यक्तियों हेतु प्रमुख लाभ

- **एकीकृत प्रपत्र 121 का परिचय:** अधिनियम ने प्रपत्र 15G और 15H को मिलाकर एकीकृत प्रपत्र 121 प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत सभी पात्र निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) तथा निर्दिष्ट संस्थाएँ आयु की परवाह किए बिना इसका उपयोग कर सकती हैं।
- **प्रपत्र 26AS का रूपांतरण:** प्रपत्र 26AS को प्रपत्र 168 में परिवर्तित किया गया है, जो वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से आँकड़े एकीकृत कर करदाता की वित्तीय गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- **स्रोत पर कर संग्रह (TCS) में कमी:**
  - शिक्षा एवं चिकित्सा प्रयोजनों हेतु ₹10 लाख से अधिक प्रेषण पर TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

- ₹10 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन पैकेजों पर TCS दर भी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
- **FAST-DS (विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना, 2026):** अधिनियम ने FAST-DS योजना प्रस्तुत की है, जो एक समयबद्ध अनुपालन खिड़की है, जिससे अप्रकाशित विदेशी परिसंपत्तियों एवं आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण संभव होगा।

### निष्कर्ष

- नवीन आयकर अधिनियम, 2025 भारत में एक पारदर्शी, कुशल एवं करदाता-अनुकूल प्रत्यक्ष कर प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- कानूनी संरचनाओं को सरल बनाकर, डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप होकर यह अधिनियम आधुनिक राजकोषीय ढाँचे की नींव रखता है।

Source: TH

## FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर विवाद

### संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने **FCRA संशोधन विधेयक, 2026** पर चर्चा स्थगित कर दी है। इस निर्णय ने राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर दिया है, विशेषकर केरल विधानसभा चुनावों से पूर्व।

### विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के बारे में

- यह एक प्रमुख विधि है जो भारत में व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों द्वारा विदेशी निधियों की स्वीकृति एवं उपयोग को नियंत्रित करती है।
- इसका प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान राष्ट्रीय हित, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित न करें।

### अधिनियम का विकास: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **FCRA, 1976:** आपातकालीन काल में अधिनियमित, जब विदेशी शक्तियाँ राजनीति, मीडिया और नागरिक समाज को प्रभावित कर रही थीं।

- **FCRA, 2010 (वर्तमान ढाँचा):** 1976 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया, उद्देश्य था विनियमन को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी निधियों के दुरुपयोग को रोकना।

- यह विकास वैश्वीकृत विश्व में नागरिक समाज के वित्तपोषण और बाहरी प्रभावों पर राज्य की निगरानी को दर्शाता है।

### FCRA, 2010 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **पंजीकरण आवश्यकता:** विदेशी निधि प्राप्त करने वाले NGOs, संघों और व्यक्तियों के लिए अनिवार्य।
- **दो मार्ग:** स्थायी पंजीकरण एवं पूर्व अनुमति (विशिष्ट मामलों हेतु)।
- **निधियों का अनुमत उपयोग:** सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में।
- **निषिद्ध श्रेणियाँ:** चुनावी उम्मीदवार, पत्रकार (कुछ मामलों में), न्यायाधीश, सरकारी सेवक, विधायक और राजनीतिक दल विदेशी निधि प्राप्त नहीं कर सकते।
- **अनुपालन आवश्यकताएँ:** पृथक बैंक खाता, उचित लेखा-रिकॉर्ड, तथा वार्षिक विवरण MHA को प्रस्तुत करना।

### हालिया संशोधन

- **2016 एवं 2018 संशोधन:** कुछ अनुपालन मानदंडों में ढील; राजनीतिक वित्तपोषण की परिभाषा में पूर्वव्यापी परिवर्तन।
- **FCRA संशोधन, 2020:**
  - NGOs द्वारा उप-अनुदान पर प्रतिबंध।
  - SBI, नई दिल्ली में अनिवार्य FCRA खाता।
  - प्रशासनिक व्यय सीमा 50% से घटाकर 20%।
  - प्रमुख पदाधिकारियों हेतु आधार अनिवार्य।
  - सरकारी शक्तियों में वृद्धि; निलंबन अवधि 360 दिन तक।

### FCRA संशोधन विधेयक, 2026 की प्रमुख प्रावधान

- **‘नामित प्राधिकरण’ का गठन:** केंद्र सरकार को अधिकार कि वह NGOs की परिसंपत्तियों/निधियों का अधिग्रहण एवं प्रबंधन कर सके, जब पंजीकरण रद्द, समर्पित या समाप्त हो।
- **परिसंपत्ति प्रबंधन ढाँचा:** परिसंपत्ति प्रबंधन के स्पष्ट नियमों की कमी, दंड में असंगति और समयसीमा की अनुपस्थिति को संबोधित करता है।
- **पंजीकरण समाप्ति की शर्तें:** यदि नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत न हो, नवीनीकरण अस्वीकृत हो, या समय पर न हो तो पंजीकरण समाप्त माना जाएगा।
- **परिसंपत्तियों पर नियंत्रण:**
  - यदि पंजीकरण पुनःस्थापित हो तो निधियाँ लौटाई जा सकती हैं।
  - नवीनीकरण न होने पर परिसंपत्तियाँ स्थायी रूप से अधिग्रहित की जा सकती हैं।
  - परिसंपत्तियाँ सरकारी निकायों को हस्तांतरित या बिक्री द्वारा निपटान की जा सकती हैं।
- **धार्मिक संस्थान:** पूजा स्थलों के मामले में प्राधिकरण संचालन का प्रबंधन कर सकता है, परंतु धार्मिक स्वरूप को संरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

### प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएँ

- **अत्यधिक केंद्रीकरण:** ‘नामित प्राधिकरण’ को व्यापक शक्तियाँ देना कार्यपालिका के अतिक्रमण का कारण बन सकता है और संस्थागत संतुलन को कमजोर कर सकता है।
- **NGO स्वायत्तता पर खतरा:** NGOs अपनी निधियों, परिसंपत्तियों और संचालन पर नियंत्रण खो सकते हैं, जिससे नागरिक समाज संगठनों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
- **प्रक्रियात्मक विलंब का प्रभाव:** विलंब से परिसंपत्तियों की हानि और गतिविधियों में व्यवधान हो सकता है।
- **अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव:** अनुच्छेद 25–30 (धार्मिक स्वतंत्रता) पर खतरे की आशंका।

- **कल्याण एवं विकास पर प्रभाव:** NGOs स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निधि व्यवधान से सेवा वितरण प्रभावित हो सकता है।
- **कानूनी अस्पष्टता:** नवीनीकरण में विलंब से स्वतः परिसंपत्ति अधिग्रहण और प्रशासनिक विवेकाधिकार का जोखिम।

### निष्कर्ष एवं आगे की राह

- **FCRA संशोधन विधेयक, 2026** राज्य नियंत्रण और नागरिक समाज की स्वायत्तता के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है।
- विदेशी निधियों का विनियमन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक है, परंतु अत्यधिक नियंत्रण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकता है।
- आवश्यक है कि नवीनीकरण निर्णयों हेतु स्पष्ट समयसीमा हो, नामित प्राधिकरण पर स्वतंत्र निगरानी हो, NGO स्वायत्तता एवं धार्मिक स्वतंत्रता हेतु सुरक्षा उपाय हों।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

Source: IE

### भारत तीव्र गति से वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है: विश्व आर्थिक मंच (WEF)

#### संदर्भ


- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, भारत कम लागत वाली सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीक का उपयोग कर स्वयं को वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। यह पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और चीन द्वारा अपनाए गए जीवाश्म ईंधन-प्रधान विकास मॉडल को दरकिनार करता है।

#### प्रमुख मुख्य बिंदु

- भारत की ऊर्जा संप्रभुता की पहल उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक त्वरित मार्गदर्शक मॉडल बन सकती है।
- भारत में सौर ऊर्जा कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 9% है, जबकि चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति कोयले का उपयोग काफी कम है।

- **विद्युत वाहन (EVs):** यात्री विद्युत वाहनों की बिक्री कुल का लगभग 5% तक पहुँच रही है, जबकि विद्युत तीन-पहिया वाहन बाजार का लगभग 60% हिस्सा रखते हैं, जिससे भारत इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बन गया है।
- भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत लगभग 1,500 kWh तक पहुँच चुकी है। सौर ऊर्जा + भंडारण की लागत नई कोयला परियोजनाओं की तुलना में लगभग आधी है।
- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र छह गुना बढ़कर 130 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जिससे सौर पैनल, बैटरियों और EVs के विस्तार को समर्थन मिला है।


### भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र



- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है।
  - 2014-15 में 78% मोबाइल आयात करने से लेकर आज लगभग सभी उपकरण घरेलू स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं।
- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य (FY 2024-25): अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और इटली।
- विगत 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने 25 लाख रोजगार उत्पन्न किए।
- भारत का सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र तीव्र गति से विकसित हुआ है; पाँच प्रमुख परियोजनाओं को ₹1.52 लाख करोड़ के निवेश के साथ स्वीकृति मिली।
- **भविष्य अनुमान:** 2026 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

### भारत में स्वच्छ ऊर्जा


- 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500.89 GW तक पहुँच गई है।



- **गैर-जीवाश्म स्रोत (नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, परमाणु):** 256.09 GW – कुल का 51% से अधिका।
- **जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत:** 244.80 GW – कुल का लगभग 49%, जिसमें कोयला लगभग 74% विद्युत उत्पादन में योगदान देता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के भीतर:**
  - सौर ऊर्जा: 127.33 GW
  - पवन ऊर्जा: 53.12 GW
- FY 2025-26 में भारत ने 28 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 5.1 GW जीवाश्म ईंधन क्षमता जोड़ी।

### सरकारी पहलें

- **मेक इन इंडिया (2014):** भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु।
- **फेज़्ड मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम (2017):** मोबाइल फोन और उनके पुर्जों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020):** मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  - प्रोत्साहन: पात्र कंपनियों को 3%–6% तक।
  - अवधि: 5 वर्ष।



- **सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम (2021):** घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहन और साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा देना।
  - 2025 तक भारत का प्रथम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन हेतु तैयार होगा।
- **SPECS योजना:** इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण हेतु पूंजीगत व्यय पर 25% वित्तीय प्रोत्साहन।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना:** ₹22,919 करोड़ की निधि के साथ स्वीकृत, छह वर्ष की अवधि और एक वर्ष की तैयारी अवधि।
  - अपेक्षित निवेश: ₹59,350 करोड़।
  - उत्पादन: ₹4,56,500 करोड़।
  - रोजगार: 91,600 प्रत्यक्ष एवं अनेक अप्रत्यक्ष।
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ एवं परियोजनाएँ:** बैटरी भंडारण, हाइब्रिड सिस्टम और RTC पावर को समर्थन।
  - अपतटीय पवन एवं फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा।
  - हरित हाइड्रोजन विकास हेतु हाइड्रोजन मिशन पर ध्यान।
- **अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ:**
  - **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत द्वारा वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु।
  - स्वच्छ ऊर्जा निवेश एवं तकनीक के लिए देशों एवं वैश्विक निधियों के साथ सहयोग।

- यह संपूर्ण परिदृश्य दर्शाता है कि भारत ऊर्जा संप्रभुता, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में तीव्र गति से वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है।

Source: AIR

## संसद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता विधेयक, 2026 पारित किया

### संदर्भ

- संसद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

### इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 क्या है?

- IBC को 2016 में भारत में बढ़ते अप्रदर्शनकारी परिसंपत्तियों (NPAs) और अप्रभावी ऋण वसूली तंत्र को संबोधित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।
- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट संकट समाधान प्रणाली में सुधार करना था, जिसमें देनदार-नियंत्रित व्यवस्था को हटाकर ऋणदाता-नियंत्रित तंत्र स्थापित किया गया, ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
- IBC समाधान के प्रमुख उद्देश्य:
  - **व्यवसाय पुनर्जीवन:** पुनर्गठन, स्वामित्व परिवर्तन या विलय के माध्यम से व्यवसायों को बचाना।
  - **परिसंपत्ति मूल्य का अधिकतमकरण:** देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को संरक्षित और अधिकतम करना।
  - **उद्यमिता एवं ऋण को बढ़ावा:** उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऋण उपलब्धता में सुधार करना और ऋणदाताओं एवं देनदारों सहित हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करना।

### IBC (संशोधन) विधेयक, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **लिक्विडेशन की समयसीमा:** NCLT को आवेदन या सूचना की तिथि से 30 दिनों के अंदर परिसमापन का आदेश पारित करना होगा। परिसमापन कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण होनी चाहिए, जिसे अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
- **CIRP का अनिवार्य प्रवेश:** विधेयक में प्रावधान है कि यदि चूक सिद्ध हो और आवेदन पूर्ण हो तो NCLT

को 14 दिनों के अंदर दिवालियापन आवेदन स्वीकार करना होगा। इस समयसीमा पर न्यायिक विवेकाधिकार समाप्त कर दिया गया है।

- **सीमापार दिवालियापन:** विदेशी परिसंपत्तियों/ ऋणदाताओं से जुड़े मामलों के समाधान हेतु ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।
- **वैधानिक देयों पर स्पष्टीकरण:** विधेयक स्पष्ट करता है कि वैधानिक देयों को सुरक्षित ऋण नहीं माना जाएगा। इससे सुनिश्चित होता है कि दिवालियापन समाधान के दौरान सरकारी देयों को सुरक्षित ऋणदाताओं पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी।
- **परिसमापन प्रक्रिया में परिवर्तन:** परिसमापक की अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ समाप्त कर दी गई हैं।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC) को परिसमापक की नियुक्ति/हटाने और परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी का अधिकार दिया गया है।
- **CIIRP (ऋणदाता-प्रेरित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) का परिचय:** विधेयक ने एक नई व्यवस्था प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत चुनिंदा वित्तीय संस्थान न्यायालयीय प्रक्रिया से बाहर दिवालियापन कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।

### चिंताएँ

- **परिसमापक की भूमिका का हास:** मूल संहिता में परिसमापक को दावों की अंतिमता सुनिश्चित करने हेतु अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ दी गई थीं। इन शक्तियों को हटाने से दक्षता कम हो सकती है और CoC पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे विलंब और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- **CIIRP तक सीमित पहुँच:** यह व्यवस्था केवल सरकार द्वारा अधिसूचित चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है। इससे ऋणदाताओं के बीच असमानता और चयन मानदंडों पर अस्पष्टता की आशंका है।
- **आवेदन वापसी पर प्रतिबंध:** विधेयक में प्रावधान है कि CoC गठन से पूर्व और समाधान योजनाओं के

आमंत्रण के बाद आवेदन वापसी पर प्रतिबंध होगा। इससे प्रारंभिक समझौते और न्यायालय से बाहर समाधान हतोत्साहित हो सकते हैं।

### निष्कर्ष

- **IBC संशोधन, 2026** संहिता के ढाँचे में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो दक्षता बढ़ाने, ऋणदाताओं की भागीदारी सुदृढ़ करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मिलित करने की दिशा में कदम है।
- इन सुधारों की पूर्ण क्षमता को साकार करने हेतु प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत क्षमता अत्यंत आवश्यक होगी।

Source: AIR

## मध्य पूर्व में युद्ध से वैश्विक सामरिक अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता उजागर

### संदर्भ

- **हॉर्मुज जलडमरूमध्य** के आसपास का संघर्ष यह दर्शाता है कि आधुनिक शक्ति अभी भी आश्चर्यजनक रूप से कम संख्या में संवेदनशील व्यापार मार्गों पर निर्भर है।

### परिचय

- **प्रथम विश्व युद्ध:** दार्दानेल्ल्स पर संघर्ष भूमध्यसागर को काला सागर से जोड़ने वाले संकरे जलमार्ग के सामरिक महत्व के कारण हुआ।
  - **दार्दानेल्ल्स:** यह यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा है, जो पूर्वी यूरोप के गैलीपोली प्रायद्वीप को एशिया के अनातोलिया से अलग करता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध:** अटलांटिक की लड़ाई मूलतः इस बात पर केंद्रित थी कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी उन समुद्री मार्गों को खुला रख सकते हैं या नहीं, जिन पर युद्ध निर्भर था।
- संकुल बिंदुओं ने केवल संघर्षों को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि उनके परिणाम भी निर्धारित किए।
- **हॉर्मुज जलडमरूमध्य:** यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री संकुल बिंदुओं में से एक है। 2025 की शुरुआत

में यह वैश्विक तेल और पेट्रोलियम खपत का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार का समान हिस्सा वहन करता है।

### अन्य संकुल बिंदु

- **मलक्का जलडमरूमध्य:** एक समान संवेदनशीलता मलक्का जलडमरूमध्य से होकर दक्षिण चीन सागर तक जाती है।
- मलक्का विश्व का सबसे व्यस्त तेल पारगमन गलियारा है, जो खाड़ी उत्पादकों को पूर्वी एशिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है, जबकि दक्षिण चीन सागर वैश्विक शिपिंग का लगभग एक-तिहाई वहन करता है।
- इस व्यापक क्षेत्र में किसी भी संघर्ष या व्यवधान से न केवल इसके आसपास के समुद्री मार्ग प्रभावित होंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ भी खतरे में पड़ जाएँगी।



- **बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य:** लाल सागर में बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य पर होने वाले व्यवधान शीघ्र ही शिपिंग लागत बढ़ा देते हैं, डिलीवरी में विलंब उत्पन्न करते हैं और खाद्य कीमतों को प्रभावित करते हैं।

### आधुनिक संकुल बिंदु – समुद्री मार्गों से परे

- **औद्योगिक एवं डिजिटल प्रणालियाँ:**
  - ताइवान और चीन वैश्विक फाउंड्री क्षमता पर प्रभुत्व रखते हैं तथा अधिकांश उन्नत लॉजिक चिप्स का उत्पादन करते हैं।
  - इससे ताइवान जलडमरूमध्य दोहरे संकुल बिंदु में बदल गया है – एक ओर शिपिंग गलियारा, दूसरी ओर विनिर्माण अवरोध।

- किसी भी संघर्ष या व्यवधान से स्मार्टफोन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और आधुनिक वाहनों तक के घटकों की आपूर्ति बाधित हो सकती है।
- नीदरलैंड की ASML कंपनी अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु आवश्यक EUV लिथोग्राफी मशीनों की एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।
- **संसाधनों की प्रतिस्पर्धा:** दुर्लभ पृथ्वी तत्व और खनिज, जिन पर उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरण निर्भर हैं, अब एक महत्वपूर्ण वैश्विक संकुल बिंदु बन गए हैं।
- चीन 20 में से 19 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों का प्रमुख परिशोधनकर्ता है।
- **समुद्र-तल केबलें:**
  - ये अंतरमहाद्वीपीय यातायात का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं।
  - मिस्र यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली केबलों का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
  - यूरोप-एशिया समुद्र-तल केबल क्षमता का 90% से अधिक लाल सागर गलियारे से होकर गुजरता है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - पनामा नहर में जल स्तर की कमी से यातायात बाधित हुआ, जिससे जहाजों को मार्ग बदलना पड़ा या प्रतीक्षा करनी पड़ी।
  - यह दर्शाता है कि जलवायु तनाव अब एक प्रमुख भू-राजनीतिक कारक बन गया है।

### निष्कर्ष

- ईरान युद्ध ने उस वैश्विक व्यवस्था की संवेदनशीलता को उजागर किया है जो संकरे गलियारों और केंद्रित क्षमताओं पर आधारित है।
- सामान्य समय में ये संकुल बिंदु अनदेखे रहते हैं, परंतु युद्ध या दीर्घकालिक संकटों में ये पुनः उभरकर वृद्धि के छिपे हुए कारक बन जाते हैं।
- आज के संकुल बिंदुओं में चिप निर्माण संयंत्र, लिथोग्राफी उपकरण और समुद्र-तल पर फाइबर-ऑप्टिक केबलें भी शामिल हैं, जिन्होंने संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है।

- संकुल बिंदुओं का सामरिक महत्व केवल उनके यातायात में ही नहीं, बल्कि विकल्पों की अनुपस्थिति में निहित है।

Source: WEF

## संक्षिप्त समाचार

### क्यूडेंगा (TAK-003)

#### संदर्भ

- टकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित क्यूडेंगा (TAK-003) को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के अधीन विषय विशेषज्ञ समिति (SEC) से 4-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है।

#### क्यूडेंगा (TAK-003) क्या है?

- TAK-003 एक जीवित-क्षीणित, चतुर्वैलेंट डेंगू टीका है, जिसमें डेंगू वायरस के सभी चार सिरोटाइप (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) के कमजोर रूप सम्मिलित हैं ताकि प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके।
  - यह DENV-2 स्ट्रेन को जीनोमिक आधार (genomic backbone) के रूप में उपयोग करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2024 में TAK-003 को पूर्व-योग्यता प्रदान की और इसे डेंगू-प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग हेतु अनुशंसित किया।
- असमान सिरोटाइप सुरक्षा:
  - DENV-2 के विरुद्ध उच्च प्रभावशीलता और DENV-1 के विरुद्ध मध्यम प्रभावशीलता।
  - DENV-3 और DENV-4 के विरुद्ध कम सुरक्षा, विशेषकर डेंगू-नवीन व्यक्तियों में।
  - चिंता: भारत में DENV-3 की व्यापकता बढ़ रही है।

#### भारत का पहला स्वदेशी डेंगू टीका

- डेंगीऑल (DengiAll): पैनासिया बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा विकसित।

- यह एक चतुर्वैलेंट, एकल-खुराक टीका है, जो सभी चार सिरोटाइप से लड़ने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- वर्तमान में यह फेज़ III परीक्षणों में है।

#### डेंगू क्या है?

- डेंगू एक वायरल संक्रमण है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
  - DENV एक RNA वायरस है, जो फ्लेविविरिडी परिवार से संबंधित है और इसके चार सिरोटाइप (DENV-1 से 4) हैं।
- लक्षण: तीव्र बुखार, तीव्र सिरदर्द, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, ग्रंथियों की सूजन, चकत्ते।
- संक्रमण: मुख्यतः संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से।
  - अन्य संभावनाएँ: गर्भवती माँ से शिशु में संचरण, रक्त उत्पादों, अंगदान और ट्रांसफ्यूजन द्वारा।
- रोकथाम: डेंगू का कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। रोकथाम मच्छरों की जनसंख्या नियंत्रण और जन-जागरूकता पर निर्भर है।
  - डेंगू फैलाने वाले मच्छर दिन में सक्रिय रहते हैं। सबसे अच्छा बचाव है मच्छरों के काटने से स्वयं को सुरक्षित रखना।

स्रोत: TH

### GLP-1 थेरेपी

#### संदर्भ


- हाल ही में भारत में GLP-1 दवाओं के कई संस्करण प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी मांग पर उपलब्धता को लेकर चिंताएँ सामने आई हैं।

#### परिचय

- GLP-1 दवा को 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

- GLP-1 दवाएँ (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स) हैं, जिन्हें टाइप-2 मधुमेह और मोटापा के उपचार हेतु विकसित किया गया है।
  - ये दवाएँ हार्मोनल असंतुलन को ठीक करती हैं, गैस्ट्रिक खाली होने की गति को धीमा करती हैं और तृप्ति की भावना बढ़ाती हैं।
  - इससे रोगियों की भूख कम होती है और वजन घटता है।

**POTENTIAL HEALTH COMPLICATIONS OF GLP-1 DRUGS**




**ALLERGIC REACTIONS (ANAPHYLAXIS)**

- Shortness of Breath
- Red Rash
- Hives
- Abdominal Pain
- Difficulty Swallowing
- Chest Tightness
- Shortness Breathing
- Feeling of Doom

---


**Low Blood Sugar (Hypoglycemia)**

- Shaking or Trembling
- Sweating & Chills
- Dizziness
- Weakness
- Faster Heart Rate




- Intense Hunger
- Difficulty Thinking
- Pale Skin
- Nausea

---



**Developmental Abnormalities in the Fetus (For Pregnant Women)**



- GLP-1 की आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक औषधीय प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु DCGI ने अनधिकृत बिक्री और प्रचार पर निगरानी तेज की है।
  - भारत में यह दवा केवल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा ही लिखी जा सकती है।

स्रोत: PIB

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के 10 वर्ष पूर्ण

### समाचार में

- 2026 में PMAY-G के कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूर्ण हुए, जो भारत के प्रमुख ग्रामीण आवास मिशन की एक दशक की उपलब्धि है।

### PMAY-G क्या है?

- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” प्रदान करना।
  - पात्र ग्रामीण परिवारों (निर्धन, कच्चे घरों में रहने वाले) को वित्तीय सहायता देकर पक्का घर उपलब्ध कराना।
- लाभार्थी चयन: सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC), 2011 के आवास वंचना मानकों के आधार पर, ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन।
- वित्त पोषण पैटर्न:
  - समतल क्षेत्रों में 60:40 (केंद्र: राज्य)।
  - उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में 90:10।
- नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)।
- वित्तीय सहायता:
  - न्यूनतम इकाई आकार: 25 वर्ग मीटर।
  - ₹1.20 लाख (समतल क्षेत्रों में); ₹1.30 लाख (पर्वतीय/उत्तर-पूर्वी राज्यों में)।
  - शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण द्वारा)।

### योजना में सुधार

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में।
- जियो-टैगिंग: निर्माण के प्रत्येक चरण में समय और तिथि सहित फोटो अपलोड कर वास्तविक समय निगरानी।
- AI आधारित निगरानी: विसंगति पहचान हेतु AI और मशीन लर्निंग उपकरण; आधार फेस प्रमाणीकरण (आँख झपकाने की पहचान सहित)।
- ग्राम स्तर के कार्यकर्ता: प्रत्येक स्वीकृत घर को स्थानीय कार्यकर्ता से जोड़ा जाता है।
- सामाजिक लेखा परीक्षा: प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम वर्ष में एक बार औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा।

स्रोत: PIB

## जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

### समाचार में

- लोकसभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित किया।

### जन विश्वास विधेयक क्या है?

- यह एक विधायी सुधार पहल है, जो भारत की नियामक संस्कृति को दंडात्मक, कारावास-आधारित मॉडल से हटाकर नागरिक दंड और विश्वास-आधारित ढाँचे की ओर ले जाती है।
- इसका सिद्धांत है कि नागरिकों और व्यवसायों को मामूली अनुपालन-त्रुटियों के लिए आपराधिक दंड का सामना नहीं करना चाहिए।

### प्रमुख प्रावधान

- **अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation):**
  - मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास को हटाकर नागरिक एवं प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्र लागू किया गया है — जैसे मौद्रिक दंड या चेतावनी।
  - उदाहरण: औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत प्रसाधन सामग्री की अवैध बिक्री पर कारावास को नागरिक दंड से प्रतिस्थापित किया गया है।
- **निर्णयन तंत्र (Adjudication Mechanism):**
  - त्वरित और समयबद्ध प्रवर्तन हेतु निर्णय अधिकारी और अपीलिय प्राधिकरणों की नियुक्ति का प्रावधान।
  - इससे न्यायालयों पर मुकदमेबाजी का भार कम होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सुनिश्चित होंगे।
- **क्रमिक प्रतिक्रिया (Graduated Response):**
  - पहली या दूसरी बार की चूक पर चेतावनी/परामर्श दिया जायेगा, तत्पश्चात ही जुर्माना लगाया जाएगा।
  - इससे मामूली उल्लंघनों का तत्काल अपराधीकरण टाला जा सकेगा।

- **गतिशील मौद्रिक दंड (Dynamic Monetary Penalties):**

- न्यूनतम राशि पर आधारित जुर्माने को हर तीन वर्ष में 10% बढ़ाया जाएगा।
- इससे दंड निवारक बने रहेंगे और अनुपातिक भी रहेंगे।

- **औपनिवेशिक प्रावधानों का निष्कासन:**

- अप्रासंगिक और पुरानी व्यवस्थाएँ हटाई गई हैं, जैसे पशु अतिक्रमण अधिनियम, 1871 के अंतर्गत प्रावधान।

स्रोत: PIB

## आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा नियम सख्त, गैर-डिलीवरेबल पुनः अनुबंधों पर प्रतिबंध

### संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को निर्देश दिया है कि वे भारतीय रुपये से संबंधित गैर-डिलीवरेबल डेरिवेटिव अनुबंधों की पेशकश, निवासियों और गैर-निवासियों दोनों के लिए, बंद करें।

### परिचय

- **उद्देश्य:** विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में निगरानी को सुदृढ़ करना।
- यह कदम सट्टेबाजी गतिविधियों को रोकने और मुद्रा बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, विशेषकर पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद रुपये पर दबाव को देखते हुए।
- **नए दिशा-निर्देश:**
  - अधिकृत डीलर केवल डिलीवरेबल विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह भी तभी जब वे ग्राहकों की वास्तविक हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हों।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीलरों को ग्राहकों से आवश्यक दस्तावेज/सूचना माँगने का अधिकार दिया गया है।

- इन उपायों से विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव खंड में अनुशासन बढ़ेगा और यह सुनिश्चित होगा कि इनका उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए हो, न कि सट्टेबाजी के लिए।

### विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव क्या हैं?

- ये वित्तीय अनुबंध हैं जिनका मूल्य एक मुद्रा के विनिमय दर से दूसरी मुद्रा के विरुद्ध निर्धारित होता है।
  - इनका उपयोग मुख्यतः जोखिम प्रबंधन, सट्टेबाजी या आर्बिट्राज हेतु किया जाता है।
- विशिष्ट प्रकार: विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंध, फ्यूचर्स, स्वैप, करेंसी ऑप्शन्स और बाइनरी ऑप्शन्स।
- इन्हें डेरिवेटिव कहा जाता है क्योंकि इनका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति — विदेशी मुद्रा — से प्राप्त होता है।

स्रोत: IE

## अमोनियम नाइट्रेट

### संदर्भ

- भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना हेतु समझौता किया है।

### अमोनियम नाइट्रेट क्या है?

- यह एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील ठोस पदार्थ है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता बल्कि अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से कृत्रिम रूप से निर्मित होता है।
- यह हाइड्रोस्कोपिक है और उच्च ताप पर विस्फोटक रूप से विघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO<sub>2</sub>) उत्सर्जित करता है।
- उदाहरण: 2015 तियानजिन (चीन) विस्फोट और 2020 बेरूत बंदरगाह विस्फोट।
- यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त रसायनों में से एक है, जो उर्वरक और औद्योगिक विस्फोटक दोनों की भूमिका निभाता है।
- इसे खतरनाक रसायन नियम, 1989 के अंतर्गत एक खतरनाक रसायन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

स्रोत: PIB

## ई-3 सेंट्री एवैक्स (AWACS)

### संदर्भ

- ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात एक अमेरिकी E-3 सेंट्री AWACS विमान के नष्ट होने की सूचना है।

### E-3 सेंट्री (AWACS) के बारे में

- E-3 सेंट्री एक वायु-आधारित प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान है, जिसे बोइंग कंपनी ने उन्नत निगरानी एवं युद्ध प्रबंधन के लिए विकसित किया है।
- इसे सामान्यतः AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) कहा जाता है।
- इसमें एक विशिष्ट घूमने वाला रडार गुंबद लगा होता है, जो विमान के मुख्य ढाँचा के ऊपर स्थित है और लंबी दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है।

### भारत में वायु-आधारित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली

- भारतीय वायुसेना (IAF) तीन इजरायली मूल के फाल्कन AWACS संचालित करती है, जिन्हें रूसी इल्यूशिन II-76 परिवहन विमान पर लगाया गया है।
  - इन्हें “आकाश की आँखें” कहा जाता है, जो 360-डिग्री रडार कवरेज प्रदान करती हैं और 370–500 किमी की दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का पता लगाने में सक्षम हैं।
- **NETRA AEW&C प्रणाली:** यह एक स्वदेशी, बहु-सेंसर प्लेटफॉर्म है जिसे DRDO ने विकसित किया है।
  - इसका आधार ब्राजील का Embraer ERJ 145 विमान है।
  - इसे मुख्यतः हवाई निगरानी, लक्ष्य पहचान और कमांड-एंड-कंट्रोल क्षमताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्रोत: HT

## राइस की व्हेल


### संदर्भ

- अमेरिका में तेल और गैस की ड्रिलिंग के विस्तार से राइस व्हेल विलुप्ति के कगार पर पहुँच सकती है।

### राइस की व्हेल (*Balaenoptera ricei*)

- यह बेलीन व्हेल परिवार (*Balaenopteridae*) से संबंधित है और विश्व की सबसे दुर्लभ व्हेल प्रजातियों में से एक है।
- वर्तमान में इनकी संख्या 100 से भी कम है।

- **परिसर और आवास:** यह उत्तरी मेक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है और वर्षभर इसी क्षेत्र में रहती है, लंबी प्रवास यात्राएँ नहीं करती।
- **आहार:** मुख्यतः छोटी मछलियों और स्क्विड पर निर्भर।
- **खतरे:** तेल ड्रिलिंग, जहाजों की टक्कर और जलवायु परिवर्तन।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (*Critically Endangered*) के रूप में सूचीबद्ध।



### क्या आप जानते हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) की स्थापना 1946 में की गई थी।
- यह वैश्विक निकाय व्हेलिंग के प्रबंधन और व्हेल संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- वर्तमान में IWC के 80 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

स्रोत: TH

## अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

### संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए छह पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका परिणाम 19 मई, 2026 को घोषित किया जाएगा।

### पुरस्कार के बारे में

- पूर्व में इसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाता था।
- यह सम्मान प्रतिवर्ष उस कथा साहित्य (उपन्यास या

कहानी संग्रह) को दिया जाता है, जो मूलतः अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो और बाद में अंग्रेज़ी में अनूदित होकर यू.के. और/या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।

- पुरस्कार अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
  - ♦ £50,000 की राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बाँटी जाती है।
  - ♦ प्रत्येक शॉर्टलिस्टेड पुस्तक को £5,000 मिलते हैं, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होते हैं।
- **विगत विजेता (2025):** *हार्ट लैप* (लेखिका: बानू मुश्ताक, अनुवाद: दीपा भास्ती)। यह प्रथम पुस्तक थी

जो कन्नड़ भाषा से अनूदित होकर इस सम्मान से नवाजी गई।

### क्या आप जानते हैं?

- बुकर पुरस्कार एक अलग सम्मान है, जो प्रतिवर्ष अंग्रेज़ी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, जो यू.के. या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।
- **भारतीय विजेता:**
  - ♦ अरुंधति रॉय (गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स)
  - ♦ किरण देसाई (इनहेरिटेंस ऑफ़ लॉस)
  - ♦ अरविंद अडिगा (व्हाइट टाइगर)

स्रोत: DH

